अवर सचिव
UNDER SECRETARY

उपराष्ट्रपति सचिवालय
VICE-PRESIDENT SECRETARIAT
नई दिल्ली / NEW DELHI-110011
TEL.: 23016344/23016422 FAX : 23018124

सत्यमेव जयते

फाइल संख्या वीपीएस-55/1-आरटीआई/52/2023-2024 **11 अक्टूबर, 2023**

सेवा में,

श्री महेंद्र कुमार
एच. न. 106, सैक्टर-12,
आर. के. पुरम,
नई दिल्ली-110022

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अपील की सूचना हेतु।

महोदय,

कृपया उक्त विषय में कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से हस्तांतरण हो कर आपका दिनांक 27.09.2023 का पत्र इस सचिवालय में दिनांक 09.310.2023 को प्राप्त हुआ है जिसमे अपने सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करने हेतु निवेदन किया है।

इस विषय में आपको अवगत करना है कि आपके द्वारा मांगी गई सूचना प्रश्न संख्या 1 से 5 के लिए आप निम्नलिखित लिंक पर देख सकते है।

https://vicepresidentofindia.nic.in/vice-presidents-secretariat/recruitment-rules

अतः आपको परामर्श है कि आप इस विषय में सीधे संबन्धित राज्य/मंत्रालय/विभाग से संपर्क करें।

राजेश

(राजेश कुमार शर्मा)

rticell-vps@nic.in

RTI No. 52

RTI MATTER/SPEED POST

No. 2/2/2023-RTIC/P/00953
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

North Block, New Delhi-110001
Dated 27.9.2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 – सम्बंधित.

Shri Mahender Kumar के आर.टी.आई. आवेदन को प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं उप-सचिव (RR) के आदेश संख्या 14017/10/2023-कार्मिक निति (RR), दिनाक 22.09.2023 के आदेशानुसार सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को हस्तांतरित किया जा रहा है!

Encl.: as above.

SKMishra
(S.K. Mishra)
Under Secretary to the Govt. of India & CPIO
Tele: 011 2309 2240

To

आर.टी.आई. प्रकोष्ठ,
सभी मंत्रालयों/विभागों,
भारत सरकार.

Copy for information to:

Shri Mahender Kumar,
H No. 106, Sector 12,
R.K. Puram,
New Delhi- 110022.

09/10/23

सं.एबी-14017/10/2023-कार्मिक नीति-(आरआर)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग

कमरा सं. 278-बी
नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांकः 22 सितम्बर, 2023

अपीलकर्ता- श्री महेंद्र कुमार, मकान सं. 106, सेक्टर-12, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022.

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारीः अवर सचिव, कार्मिक नीति (भर्ती नियम), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग।

विषयः- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील।

अपीलकर्ता ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत फाइल किए गए दिनांक 14.06.2022 के पंजीकरण संख्या डीओपीऐंडटी/आर/पी/23/0953 वाले अपने आवेदन के जवाब में सीपीआईओ एवं अवर सचिव के दिनांक 12.07.2023 के पत्र सं.एबी-14017/1/2023-कार्मिक नीति-(आरआर-II) के तहत दिए गए उत्तर के विरुद्ध दिनांक 27.07.2023 की पंजीकरण संख्या डीओपीऐंडटी/ए/पी/23/00108 के तहत प्रथम अपील दर्ज की है।

2. अपीलकर्ता द्वारा किए गए मूल आवेदन, सीपीआईओ द्वारा दिए गए उत्तर और अपीलकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्रथम अपील का अवलोकन किया गया है।

3. टिप्पणियां इस प्रकार हैं:

(i) सूचना का अधिकार आवेदन को कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के आईटीआई प्रकोष्ठ द्वारा कर्मचारी चयन आयोग को हस्तांतरित किया गया था।

(ii) सीपीआईओ ने दिनांक 12.07.2023 के अपने उत्तर में यह उल्लेख किया था कि आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उससे संबंधित नहीं है और यह भी उल्लेख किया था कि मांगी गई सूचना स्पष्टीपरक प्रकृति की थी अतः उसके पास प्रदान करने के लिए कोई सूचना नहीं थी। यह भी सूचित किया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केवल ऐसी सूचना ही प्रदान की जा सकती है जो पहले से विद्यमान हों और किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या लोक प्राधिकारी के नियंत्रणाधीन धारित की जाती हैं। लोक सूचना अधिकारी से सूचना का सृजन करने; या सूचना की व्याख्या करने; या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं/प्रश्नों का समाधान करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(iii) अपीलकर्ता ने अपनी अपील में यह उल्लेख किया है कि उसके आरटीआई आवेदन को सभी मंत्रालयों/विभागों को अवश्य अग्रेषित करना चाहिए।

Contd.2/-

<u>आदेश</u>

4. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी का उत्तर उचित पाया गया है। इसलिए, तदनुसार प्रथम अपील का निपटान किया जाता है।

5. द्वितीय अपील यदि कोई हो, तो इस आदेश के प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग, सीआईसी भवन, बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली-110067 को की जाए।

संलग्न : उपरोक्त अनुसार

जे. श्रीराममूर्ति

(जे श्रीराम मूर्ति)
प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं उप सचिव
दूरभाष सं.-23092655
ई-मेल आईडी: sm.jayanti@gov.in

सेवा में,

1. आरटीआई प्रकोष्ठ, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को संबंधित मंत्रालयों/विभागों को मूल आरटीआई आवेदन को स्थानांतरित करने हेतु उपयुक्त कार्रवाई करने के अनुरोध के साथ।
2. श्री महेंद्र कुमार, मकान न. 106, सेक्टर-12, आर.के. पुरम, नई दिल्ली-110022

प्रतिलिपि: केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी एवं अवर सचिव, कार्मिक नीति (आरआर), कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली।

2A
2/7/7

Ist Appeal

सेवा में,

प्रथम अपीलीय अधिकारी
एवं उप सचिव
(कार्मिक नीति - आर आर)
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
नार्थ ब्लाक नई दिल्ली

DS (RR)
CPIO:- US (RR)
(RTI No:- 00952/P/23)
00108/A/P/23
27/7/23

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु (फाईल संख्या एबी-14017/1/2023 - कार्मिक नीति (आर आर II) दिनांक 12-07-2023 के संदर्भ में प्रथम अपील दायर करना।

महोदय,

कृपया मेरे द्वारा मांगी गई सूचना के आवेदन को अच्छी तरह से देखे कि मैंने जो सूचना मांगी है वह भारत सरकार के सभी मंत्रालयो एवं विभागो से सम्बंधित है, वही इसका जवाब दे सकते है, आपसे अनुरोध है कि मेरे पत्र को सभी मंत्रालयो एवं विभागो में भेजे जिससे मुझे समय पर सूचना प्राप्त हो सके।

मैं प्रथम अपीलय अधिकारी से पुन: अनुरोध करता हूँ, कि मेरे पत्र को सभी मंत्रालयो/विभागो में भेजा जाए जिससे कि वह मुझे समय पर सूचना उपलब्ध करवा सके।

Mahender Kumar 26-07-2023

MAHENDER KUMAR
HOUSE No. 106, SECTOR-12,
R.K. PURAM
NEW DELHI-110022

सी.पी.आई.ओ
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सम्बंध में
फा.सं. AB-14017/6/2009-Estt.(RR) दिनांक 30.04-2010
मे सम्बंधित सूचना प्राप्त करना।

1. कृपया बताए कि भारत सरकार के प्रत्येक विभाग / मंत्रालय में MTS की कितनी-2 पोस्ट (पहले के ग्रुप 'डी' पोस्ट फराश और सफाईवाला) निर्धारित रखी गई है? Pl. furnish

10953/RSC/23
14/6

2. कृपया बताए कि SSC से जो MTS विभाग / मंत्रालय में आ रहे है उनको (पहले के ग्रुप 'डी' पोस्ट फराश और सफाईवाला) के पदो पर भी तैनात किया जा रहा है या नही, अगर तैनात किया जा रहा है तो पदों की संख्या बताई जाए, अगर तैनात नही किया जा रहा है तो क्या उनके पद समाप्त कर दिए गये है, सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

S.S.C

US(RR)

952/RSC/23
14/6

3. कृपया बताए कि क्या क्या विभाग/मंत्रालय ने कोई ऐसा सिस्टम तैयार किया है कि MTS को रोटेशन में इस काम के लिए (पहले ग्रुप 'डी' पोस्ट फराश और सफाईवाला) तैनात किया जाता है, अगर तैनात नही किया जाता तो इसके क्या कारण है? View

4. कृपया बताए क्या MTS को कितने-2 समय में कोई प्रशिक्षण / कार्यशाला आयोजित की जाती है या नही, विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाई जाए। Trg.

अगले पृष्ठ पर - - -

5. कृपया बताए कि (पहले के ग्रुप डी, फराश और सफाई वाला) वर्तमान में MTS के सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पदों को भरा जाता है या नहीं, सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

पोस्टल आर्डर संलग्न है

[redacted]